



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में एस.बी.आई. लाईफ इश्योरेंस का रीजनल मैनेजर 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 03 मई, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये राजेश कुमार रीजनल मैनेजर, एस.बी.आई.लाईफ इश्योरेंस, बाड़मेर को परिवादी से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजन की मृत्यु पर मिलने वाले 20 लाख रुपये क्लेम को पास करने एवं होल्ड नहीं करने की एवज में राजेश कुमार रीजनल मैनेजर, एस.बी.आई.लाईफ इश्योरेंस, बाड़मेर द्वारा 1 लाख 40 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के सुपरवीजन में एसीबी जालोर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत के निर्देशन में द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के बाड़मेर में ट्रैप कार्यवाही करते हुये राजेश कुमार पुत्र श्री नारायण लाल कुम्हार निवासी हनुवंत कॉलोनी, जोधपुर हाल रीजनल मैनेजर, एस.बी.आई.लाईफ इश्योरेंस, बाड़मेर को परिवादी से 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदेत रहें कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।